

कार्यालय:- जिला शिक्षा अधिकारी प्रा०शि० पिथौरागढ़ ।											अनुरोध के आधार पर									
उत्तराखण्ड लोक सेवकों के लिये वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम-2017 की धारा 17(ख) (पांच) में उल्लिखित प्राविधानानुसार विधवा, विधुर, सक्षम न्यायालय के आदेश से घोषित परित्यक्ता एवं तलाकशुदा तथा वरिष्ठ कार्मिकों के स्थानान्तरण हेतु कार्मिकों द्वारा उपलब्ध कराये गये विकल्पों का विवरण-																				
प्र०अ० उच्च प्राथमिक																				
क्र.सं.	कार्मिक का नाम	विषय	कार्यरत विद्यालय /विकास खण्ड	प्रथम नियुक्ति तिथि	राजकीय सेवा में कुल सेवा अवधि (दिनांक 31-05-2026 तक)	वर्तमान विद्यालय में कार्यभार ग्रहण की तिथि	वर्तमान विद्यालय में ठहराव की कुल अवधि	विधवा/विधुर/परित्यक्ता (विधवा-विधुर की स्थिति में पति अथवा पत्नी का मृत्यु प्रमाण पत्र/परित्यक्ता की स्थिति में मा. न्यायालय के आदेश की प्रति/वरिष्ठ कार्मिक की स्थिति में जन्म तिथि प्रमाण पत्र अनिवार्य रूप से संलग्न करें)	स्थानान्तरण हेतु विकल्पित विद्यालय (विकासखण्ड)										अन्य विवरण	
									1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
1	श्री महिमन सिंह खडायत	हिन्दी	रा०उ०प्रा०वि० भडगांव	18.03.1988	38 वर्ष 02 माह 13 दिन	02.06.2019	7वर्ष 3 माह 25 दिन	वरिष्ठ कार्मिक	रा०उ०प्रा०वि० लोहारगांव डीडिहाट	रा०उ०प्रा०वि० मेर्ठी डीडिहाट	रा०आ०वि० ओगला डीडिहाट	-	-	-	-	-	-	-	वरिष्ठ कार्मिक	
2	शोभा उपाध्याय	सामान्य	रा०पू०मा०वि० बमडोली, कनालीछीना	02.02.1989	37 वर्ष 03 माह 29 दिन	10.07.2019	06 वर्ष 10 माह 21 दिन	हाई स्कूल परिक्षा का प्रमाण पत्र	रा०जू०हा० कन्या मण्डप, बिण	-	-	-	-	-	-	-	-	-	वरिष्ठ कार्मिक	